

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

नेशनल लोक अदालत का 10 जुलाई शनिवार को आयोजन संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राश जमा करने पर अधभार (सरचार्ज) की राश में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राश

रतलाम 8 जुलाई। राष्ट्रीय व धक सेवा प्रा धकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राश जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में श वर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 500000 (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 100000 (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 500000 (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1000000 (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 100000 से अधिक तथा रूपये 500000 तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 1000000 (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधभार की राश रूपये 500000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज) ही दी जायेगी। यह छूट वत्तीय वर्ष 2020.21 तक की बकाया रा श पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 100702021 की नेशनल लोक अदालत के लये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है क 7 जुलाई 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित श वर में उपस्थित होकर बकाया रा श जमा कराकर दी जा रही अ धभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

लेखापाल श्री बालोद्रा व श्री राठौर का माह जून वेतन रोका रतलाम 8 जुलाई। नगर निगम के पीएमएवाय योजना संबंधी खाते में बीएलसी मद की कोई रा श शेष नही होने संबंधी गलत जानकारी दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेखाशाखा के लेखापाल श्री वजय बालोद्रा व सहायक राजस्व निरीक्षक श्री बलवंत संह राठौर का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये। संचालनालय द्वारा आयोजित वी डयो कान्फ्रेंसिंग की बैठक में पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी घटक की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया क रतलाम नगर निगम के खाते में बीएलसी घटक के अन्तर्गत 158 करोड़ रुपये की रा श रखी हुई है जिसका हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है। पीएमएवाय योजना शासन स्तर की प्राथमका प्राप्त योजना है जिसमें हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है उक्त असंतोषजनक स्थिति के कारण आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।

पीएमएवाय योजना संबंधी खाते में बीएलसी मद की कोई रा श शेष नही होने संबंधी गलत जानकारी निगम आयुक्त श्री झारिया को श्री बालोद्रा व श्री राठौर द्वारा दिये जाने पर संबंधितों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोका जाकर 1 सप्ताह में पात्र हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान कये गये।

सटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का माह जून वेतन रोका रतलाम 8 जुलाई। प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर होने से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती रेखा राठौरए श्रीमती सीमा सुरो लयाए हेमा सलावटए सुश्री निर्मला राय का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये। संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बैठक में एनयूएलएम अन्तर्गत पी.एम. स्वनिधी योजना की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया क प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर है उक्त असंतोषजनक प्रगति के कारण आयुक्तए नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही वीडियो कान्फ्रेसिंग पश्चात ली गई बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा भी नाराजगी व्यक्त करने पर उक्त कर्मचारियों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने व 1 सप्ताह में अपने कार्यक्षेत्र में संतोषजनक प्रगति लाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये।

डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड का दीनदयाल रसोई केन्द्र आज से प्रारंभ

रतलाम 8 जुलाई। नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सवक सेन्टरए त्रिपो लया गेट के साथ डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड पर संचालित दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र भी आज 8 जुलाई शुक्रवार से पुनः प्रारंभ कया गया है जिसमें हितग्राही 10 रूपये में भोजन कर सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सवक सेन्टर त्रिपो लया गेट व डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड पर दीनदयाल रसोई केन्द्र संचालित किये जा रहे थे किन्तु कोरोना संक्रमण दर बढ़ने पर त्रिपो लया गेट व डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्रों को बंद कर दिया गया था। सिर्फ राजीव गांधी सवक सेन्टर के रसोई केन्द्र को चालू रखा गया था। कोरोना संक्रमण कम होने पर त्रिपो लया गेट के रसोई केन्द्र को नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। आज 8 जुलाई शक्रवार से डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्र को भी प्रारंभ किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे के मध्य सवक सेन्टर त्रिपो लया गेट व डॉ० अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्ड दीनदयाल रसोई केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्धारित दर पर भोजन करें।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 8 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

जुर्माने में 15ए800६ की राश वसूली

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 08 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक

जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 08 जुलाई को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर कालूए मांगूए जीत नौलाईपुराए वकासए रोहितए ज्योति नमकीनए रतनलाल चांदनी चौकए नानू कॉलेज रोडए संगीता जेल रोड व जौसर भाई त्रिपो लया गेट पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा शहर के व भन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर जुर्माना कर 11ए600६ की रा श वसूल कर अनिर्वाय रूप से मास्क लगाने की चेतावनी दी गई व शहर के व भन्न क्षेत्रों में गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माना कर 3ए200६ की रा श वसूल की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

8 जुलाई को 78 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 08 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 08 जुलाई गुरुवार को 78 टन कचरा जुलवानिया टे^a चंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

08 जुलाई गुरुवार को डम्पर व टेक्टर ट्रॉली से 40435ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 25060ए काम्पेक्टर गीला कचरा 11160 व मैजिक 2165 कलो इस तरह कुल 78820 कलो कचरा जुलवानिया टेक्टर चंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया। कार्य नहीं किया तो नहीं होगा वेतन भुगतान

प्रतिदिन किये गये कार्य के व्हाट्स एप पर देना होंगे फोटो

रतलाम 08 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डों में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की फोटो पृथक-पृथक शफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप पर भेजेंगे फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डों में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला वभाग के लपक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5:30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्देशित किया है कि वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संबंधित के वरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान वभाग के माल्यों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शफ्ट में दोपहर 02:30

व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

1049 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 08 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 8 जुलाई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1049 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 8 जुलाई को रामगढ़ चौराहा चांदनी चौक त्रिपो लया गेट आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन

क्या जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है क वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया क दोनो पालकों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता

तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है क वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क गली सार्वजनिक स्थल नाले-नालयों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले-नालयों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त 08/07/2021/धन.पा.निगम/रतलाम.